454/4:45

संख्या-690 /XIX-1/17-मि0ते0आवं0-112/2002

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अनुभाग-1 देहरादून : दिनांक 31 अगस्त, 2017

विषयः- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के द्वितीय त्रैमास के माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2017 हेतु मासिक मिट्टी तेल का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, पेट्रोलियम प्लानिंग एंव एनालिसिस सैल, भारत सरकार के पत्र सं0-**पी-21016/02/2017 दिनांक-16.06.2017** एवं राज्य स्तरीय समन्वयक-तेल उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0- डी0डी0एन0डी0ओ0/एम0/24, दिनांक-21.06.2017 के सन्दर्भ में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, शासनादेश सं0-जी0 आई0-41/29-7-53 (के0ओ0) दिनांक 09 जुलाई, 1990 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए वर्ष 2017-18 के द्वितीय त्रैमास के **माह जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2017** हेतु जनपदवार/कम्पनीवार/थोक मिट्टी तेल विक्रेतावार उपभोक्ताओं को मासिक आवंटन संलग्नक-1, 2 एवं 3 में उल्लिखित मात्रानुसार **कुल 2107** के0एल0 मासिक मिट्टी तेल का आवंटन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रत्येक जनपद के सम्मुख स्टैण्डर्ड आवंटन के अन्तर्गत जो मात्रा दी जा रही है वह केवल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित दुकानदारों के माध्यम से राशन कार्ड पर निर्धारित दर में नियमानुसार वितरित की जायेगी। इस मात्रा को किसी भी स्थिति में किसी अन्य प्रयोजनों मे नही लाया जायेगा।

2. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए जहां कही आवश्यकता हो एक स्पेशल कोटे के तहत छात्रों/छात्रवासों, शिक्षण सस्थाओं, विवाह, अन्त्योष्टि, ईट भट्ठे में कार्यरत मजदूरों तथा सरकारी उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार आवंटन किया जायेगा जिसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा शासन को उपलब्ध करानी होगी।

3. जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा **"थ्री स्टेज चैकिंग"** करायी जायेगी। किसी भी दशा में मिट्टी तेल का डाइवर्जन/अपमिश्रण न हो, जिसका विशेष ध्यान रखा जायेगा।

4. मिट्टी तेल का शत्प्रतिशत सही वितरण सुनिश्चित किया जायेगा तथा एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी (सिंगल बॉटल) राशनकार्ड धारकों को भारत सरकार से, मिट्टी तेल का कम आवंटन प्राप्त होने के दृष्टिगत मिट्टी तेल अनुमन्य नहीं किया जायेगा। बिना एल0पी0जी0 कनेक्शनधारी राशन कार्ड धारकों को 01 लीटर प्रति राशन कार्ड मैदानी क्षेत्र में तथा 02 लीटर, प्रति राशन कार्ड पर्वतीय जनपदों में मिट्टी तेल वितरित किया जायेगा। डी0बी0सी0 कनेक्शनधारी के राशनकार्डो पर मिट्टी का तेल अनुमन्य नहीं होगा।

5. जिलाधिकारी अपने जनपद में मिट्टी तेल की मांग/उपलब्धता/आपूर्ति को देखते हुये व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखेंगे।

6. एजेंसीवार वितरण में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होने की दशा में जिलाधिकारी अपना प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित तत्काल शासन को उपलब्ध कराएं ताकि आगामी माहों में तदनुसार परिवर्तन किया जा सकें।

7. प्रत्येक मास हेतु आवंटित मिट्टी तेल का उठान/वितरण उसी माह की अन्तिम तिथि तक प्रत्येक दशा में **कर लिया जाय। माह जुलाई एवं अगस्त 2017 हेतु आवंटित मिट्टी तेल आवंटन का उठान किये जाने की अनुमति दिनांक– 20.09.2017 तक प्रदान की जाती है।**

8. प्रकरण में जिलाधिकारी पौडी द्वारा अपने पत्र संख्या 557, दिनांक 28.07.2017 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मैसर्स लालता प्रसाद, राम नारायण मिट्टी तेल विकता थोक विकता नैनीताल द्वारा गत त्रैमास में मिट्टी तेल उठान के पश्चात् क्षेत्र में वितरण न कर अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन किया, जिसके दृष्टिगत उक्त फर्म का अनुबन्ध पत्र निरस्त करते हुए काली सूची में दर्ज किये जाने की संस्तुति के क्रम में उक्त विकेता का जनपद पौड़ी, अल्मोडा एवं नैनीताल का मिट्टी तेल कोटा उसी जिले के अन्य थोक विकेताओं को आंवटित किया जा रहा है (परिशिष्ट पर विवरण संलग्न)।

9. **शासनादेश संख्या–873/XIX-1/17–मि0ते0आवं0–112/2002 दिनांक 09.08.2017 तथा अ0शा0 पत्र संख्या 899/XIX-1/17–मि0ते0आवं0–112/2002 दिनांक 18.08.2017 द्वारा समस्त जनपदों में बिजली कनैक्शनधारी तथा एल0पी0जी0 गैस कनैक्शन धारी राशन कार्ड धारकों को मिट्टी के तेल हेतु अपात्र करते हुये पात्रता सूची से हटाने के निर्देश दिये गये है। अतः समस्त जिला पूर्ति अधिकारी यह सुनिश्चित कर लेगे की अपात्र राशन कार्डधारी को मिट्टी का तेल आवंटन किसी भी दशा में न किया जाय।**

10. उल्लेखनीय है कि, भारत सरकार द्वारा, प्रत्येक त्रैमास हेतु, उत्तराखण्ड राज्य, को आवंटित मिट्टी तेल के कोटे की मात्रा में निरन्तर कटौती की जा रही है। इसके दृष्टिगत, किन्हीं एजेन्सियों द्वारा उठान न किये जाने की स्थिति में, जिला पूर्ति अधिकारी अपने स्तर से, अनुश्रवण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि, ऐसी कितनी एजेन्सियां हैं, जो 03 माह हेतु आवंटित कोटे का कतिपय कारणों से पूर्ण/आंशिक उठान नहीं कर पा रही हैं, साथ ही इसकी सूचना प्रत्येक जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा प्रत्येक दशा में त्रैमास समाप्त होने से पूर्व शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या–690 (1)/XIX-1/17–मि0ते0आवं0–112/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उप सचिव, पैट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
5. राज्य स्तरीय समन्वयक उत्तराखण्ड, आई0ओ0सी0 देहरादून/बरेली को जनपदवार/एजेंसीवार/थोक विक्रेतावार मिट्टी तेल के आवंटन के प्रति संलग्न करते हुये इस अनुरोध के साथ कि सम्बन्धित तेल डिपो तथा सम्बन्धित तेल कम्पनी को आवंटन के अनुसार मिट्टी तेल उपलब्ध कराने का निर्देश करना सुनिश्चित करें।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, एच0पी0सी0एल0, 1 नेशविला रोड, देहरादून।

7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, बी0पी0सी0एल0, प्रादेशिक कार्यालय, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 एरिया, लन्ढौरा, रूड़की, जिला–हरिद्वार।
8. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. प्रमुख निजी सचिव, मा0 खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति मंत्री जी/मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
10. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,उत्तराखण्ड, देहरादून को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
11. समन्वयक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय देहरादून।
12. प्रभारी, मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव।